बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांकः- 151767 पटना, दिनांकः- 12-06-13

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(जीर्णोद्धार)-143/2011

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषयः- **दिनांक 01.04.2004 के पूर्व के अधूरे/अपूर्ण इंदिरा आवास वाले अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभुकों को चिन्हित करने के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-144656 दिनांक-08.04.2013

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 01.04.2004 के पूर्व के अधूरे/अपूर्ण इंदिरा आवास वाले अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभुकों को चिन्हित कर दिनांक 30.04.2013 तक विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ताकि योग्य परिवारों को एक मुश्त सहायता राशि उपलब्ध कराने की योजना की स्वीकृति पर विचार किया जा सके किन्तु माह मई समाप्त होने के बाद भी उक्त महत्वपूर्ण प्रतिवेदन विभाग को अप्राप्त है ।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य योजना के तहत मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान करने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2013-14 में राशि का बजट उपबंध हो चुका है । अतएव पीड़ित परिवारों की सूची प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने की आवश्यकता है ताकि चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उपबंधित राशि का उपयोग किया जा सके ।

अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक विभागीय पत्र के आलोक में संलग्न प्रपत्र में सूची हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 15 दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

11/6/13
(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव

F:\D Drive\Mukesh\IAY 790a.doc

<u>सर्वेक्षण प्रपत्र</u>

प्रखंड का नाम:-   पंचायत का नाम:-

दिनांक 01.04.2004 के पूर्व के अधूरे/अपूर्ण इंदिरा आवास वाले अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभुकों की सूची

क्र0 सं0	योजना संख्या	वर्ष	लाभुक का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	जाति	बी.पी.एल. सं0 (तत्समय)	प्रति इकाई दर जिसपर स्वीकृति दी गई	भुगतान की गई राशि	अवशेष भुगतेय राशि	भौतिक स्थिति	क्या लाभुक को दूसरा पक्का मकान है (हां/ना)	क्या लाभुक स्थायी सरकारी सेवक हैं (हां/ना)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रमाणित किया जाता है कि सूची में वर्णित सभी परिवारों के संबंध में सूचना ग्राम सभा में पढ़कर दे दी गई है और ग्राम सभा का अनुमोदन उक्तवत दर्शाया गया है । अंकित की गई सभी सूचनाएं सही हैं ।

पंचायत सचिव का हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत के मुखिया का हस्ताक्षर

प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर